

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 381]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 8 अक्टूबर 2020—आश्विन 16, शक 1942

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2020

अधि. क्र.—230—एफ—01—291—2020—अठारह—3.— मध्यप्रदेश नगर पालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम—7 की अपेक्षा अनुसार नगरपालिका परिषद् सिवनी, जिला सिवनी के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

क्र.	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया	कुल आरक्षित वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्र. 07, टैगोर वार्ड (2) वार्ड क्र. 21, रफीक अहमद किदवई वार्ड (3) वार्ड क्र. 22, अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 06, कबीर वार्ड (2) वार्ड क्र. 19, रानी दुर्गावती वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित कुल वार्ड	06	(1) वार्ड क्र. 01, महामाया वार्ड (2) वार्ड क्र. 05, सी.व्ही.रमन वार्ड (3) वार्ड क्र. 11, सुभाष वार्ड (4) वार्ड क्र. 12, गांधी वार्ड (5) वार्ड क्र. 15, संजय वार्ड (6) वार्ड क्र. 20, कस्तूरबा वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 07, टैगोर वार्ड (2) वार्ड क्र. 22, अम्बेडकर वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र. 19, रानी दुर्गावती वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	03	(1) वार्ड क्र. 01, महामाया वार्ड (2) वार्ड क्र. 11, सुभाष वार्ड (3) वार्ड क्र. 20, कस्तूरबा वार्ड
7	महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्र. 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	06	(1) वार्ड क्र. 03, अकबर वार्ड (2) वार्ड क्र. 04, लाल बहादुर शास्त्री वार्ड (3) वार्ड क्र. 08, महावीर वार्ड (4) वार्ड क्र. 16, चन्द्रशेखर वार्ड (5) वार्ड क्र. 18, तिलक वार्ड (6) वार्ड क्र. 23, भगत सिंह वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2020

क्र. एफ-01-291-2020-अठारह-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 230-एफ-01-291-2020-अठारह-3, दिनांक 8 अक्टूबर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 8th October 2020

Not-No 23 of F 01-291/2020/18-3 In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Classes and Women) of Rule 1994 the Reservation of wards for Nagar Palika Parishad Seoni District Seoni published as Follows.

No.	Reserved wards for Category	Total Reserved Ward's	Reserved Ward's Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	03	(1) Ward No. 07, Tagore Ward (2) Ward No. 21, Rafeek Ahmad Kidwai Ward (3) Ward No. 22, Ambedkar Ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	02	(1) Ward No. 06, Kabir Ward (2) Ward No. 19, Rani Durgawati Ward
3	No. of wards Reserved for Other Backward Classes	06	(1) Ward No. 01, Mahamaya Ward (2) Ward No. 05, C.V. Raman Ward (3) Ward No. 11, Subhash Ward (4) Ward No. 12, Gandhi Ward (5) Ward No. 15, Sanjay Ward (6) Ward No. 20, Kasturba Ward
4	No. of wards Reserved for Schedule Caste (Women)	02	(1) Ward No. 07, Tagore Ward (2) Ward No. 22, Ambedkar Ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	01	(1) Ward No. 19, Rani Durgawati Ward
6	No. of wards Reserved for Other Backward Classes (Women)	03	(1) Ward No. 01, Mahamaya Ward (2) Ward No. 11, Subhash Ward (3) Ward No. 20, Kasturba Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5, & 6) (Women)	06	(1) Ward No. 03, Akbar Ward (2) Ward No. 04, Lal Bahadur Shastri Ward (3) Ward No. 08, Mahaveer Ward (4) Ward No. 16, Chandra Shekhar Ward (5) Ward No. 18, Tilak Ward (6) Ward No. 23, Bhagat Singh Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2020

अधि. क्र.-231-एफ-01-194-2020-अठारह-3.- मध्यप्रदेश नगरपालिका (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं महिलाओं के लिए वार्डों का आरक्षण) नियम, 1994 के नियम-7 की अपेक्षा अनुसार नगर परिषद बरघाट, जिला सिवनी के लिए आरक्षित वार्डों की सूची निम्नानुसार प्रकाशित की जाती है :-

क्र.	वर्ग जिसके लिए आरक्षण किया गया	कुल आरक्षित वार्ड	आरक्षित वार्ड का क्रमांक व नाम
1	अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 03, श्रीमती सरोजिनी नायडू वार्ड (2) वार्ड क्र. 05, डॉ. अम्बेडकर वार्ड
2	अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 01, माँ गायत्री वार्ड (2) वार्ड क्र. 15, श्री राजीव गांधी वार्ड
3	अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षित कुल वार्ड	04	(1) वार्ड क्र. 04, महात्मा गांधी वार्ड (2) वार्ड क्र. 06, श्री चन्द्रशेखर आजाद वार्ड (3) वार्ड क्र. 09, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड (4) वार्ड क्र. 11, श्रीमती इंदिरा गांधी वार्ड
4	अनुसूचित जाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र. 03, श्रीमती सरोजिनी नायडू वार्ड
5	अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	01	(1) वार्ड क्र. 01, माँ गायत्री वार्ड
6	अन्य पिछड़ा वर्ग की महिलाओं के लिए आरक्षित कुल वार्ड	02	(1) वार्ड क्र. 06, श्री चन्द्रशेखर आजाद वार्ड (2) वार्ड क्र. 09, डॉ. राजेन्द्र प्रसाद वार्ड
7	महिलाओं के लिए (उक्त सरल क्र. 4, 5 व 6 के अलावा) आरक्षित वार्ड	03	(1) वार्ड क्र. 08, श्री सुभाष चंद बोस वार्ड (2) वार्ड क्र. 10, पं. जवाहर लाल नेहरू वार्ड (3) वार्ड क्र. 14, श्री महाराणा प्रताप वार्ड

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2020

क्र. एफ-01-194-2020-अठारह-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 231-एफ-01-194-2020-अठारह-3, दिनांक 8 अक्टूबर 2020 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजीव निगम, उपसचिव.

Bhopal, the 8th October 2020

Not-No 231 F 01-194/2020/18-3 In exercise of the Powers Conferred by Rule 7 of the Madhya Pradesh Municipalities (Reservation of wards for Schedule Caste, Schedule Tribe Other Backward Classes and Women) of Rule 1994 the Reservation of wards for Nagar Parishad Barghat District Seoni published as Follows.

No.	Reserved wards for Category	Total Reserved Ward's	Reserved Ward's Name and Number
1	No. of wards Reserved for Schedule Caste	02	(1) Ward No. 03, Smt. Sarojini Naidu Ward (2) Ward No. 05, Dr. Ambedkar Ward
2	No. of wards Reserved for Schedule Tribe	02	(1) Ward No. 01, Maan Gayatri Ward (2) Ward No. 15, Shri Rajeev Gandhi Ward
3	No. of wards Reserved for Other Backward Classes	04	(1) Ward No. 04, Mahatma Gandhi Ward (2) Ward No. 06, Shri Chandra Shekhar Azad Ward (3) Ward No. 09, Dr. Rajendra Prasad Ward (4) Ward No. 11, Smt. Indira Gandhi Ward
4	No. of wards Reserved for Schedule Caste (Women)	01	(1) Ward No. 03, Smt. Sarojini Naidu Ward
5	No. of wards Reserved for Schedule Tribe (Women)	01	(1) Ward No. 01, Maan Gayatri Ward
6	No. of wards Reserved for Other Backward Classes (Women)	02	(1) Ward No.06, Shri Chandra Shekhar Azad Ward (2) Ward No. 09, Dr. Rajendra Prasad Ward
7	No. of wards Reserved for (other from S.No. 4, 5, & 6) (Women)	03	(1) Ward No. 08, Shri Subhash Chand Bose Ward (2) Ward No. 10, Pt. Jawahar Lal Nehru Ward (3) Ward No. 14, Shri Maharana Pratap Ward

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAJIV NIGAM, Dy. Secy.